न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
43/प्रा0पत्र/2021	22.06.2021	06.07.2021

राहुल देव शर्मा पुत्र चौथमल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा, राजस्थान

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री नन्द सिंह सोलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः–

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 111,128 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:–

1. प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 381/148 रकबा 0.6475 हैक्टेयर वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान पटवार हल्का ठीकरिया चारणान तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है।
2. यह कि प्रार्थी की उक्त भूमि की सीमाओं से संबंधित विवाद है तथा ऐसी सीमा संबंधित विवाद का विनिश्चय के लिए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 111 एवं 128 मे व्यवस्था की गई है जिसके तहस सीमाओं के संबंध मे किसी विवाद की दशा मे भूमि अभिलेख अधिकार जहां तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या ऐसे नक्शे उपलब्ध ना हो तो वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा। साथ ही मे भूमि अभिलेख अधिकार संक्षेप जांच करके यह सुनिश्ति करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है और तब तदनुसार सीमा निश्चित करेगा।
3. यह कि प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार साहब तालेड़ा को सीमाज्ञान बाबत् आवेदन किया गया था, परन्तु प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ठ नहीं है इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय से लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111,128 के तहत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि का सर्वेक्षण (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहती है जिसके लिए अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है। साथ ही मे प्रार्थी वैकल्पिक रूप से जी.पी.एस. टेक्नोलोजी से भी भूमि का नाम कराने को तैयार है जिसका खर्चा भी नियमानुसार अदा करने को तैयार है।
4. यह कि भूमि की वास्तविक सर्वेक्षण के अभाव मे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भूमि का उपरोक्त अनुसार सर्वेक्षण कराना अति आवश्यक है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि श्रीमान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मे होने के कारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र को सुनने व निर्णय करने का क्षैत्राधिकार मे प्राप्त है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित फरमावे कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 381/148 रकबा 0.6475 हैक्टेयर वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान पटवार हल्का ठीकरिया चारणान तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान का सर्वेक्षण जी.पी.एस. टेक्नोलोजी अथवा पत्थरगढ़ी से सर्वेक्षण किया जावे तथा सीमा चिन्ह निर्धारित किया जावे ।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की और से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 133 ग्राम लीलेडाचारणान संवत् 2076, नकल नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 133 ग्राम लीलेडाचारणान संवत् 2076 में राहुल देव शर्मा पुत्र चौथमल शर्मा जाति ब्राहमण सा0देह टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा नकल जमाबन्दी खाता सं0 133 ग्राम लीलेडा चारणान संवत् 2076 में राहुल देव शर्मा पुत्र चौथमल शर्मा जाति ब्राहमण सा0 2–क–52 टीचर्स कॉलोनी केशवपुरा कोटा खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार 500/–रूपये पत्थर गढी शुल्क राजकोष में जमा कर प्रार्थी की उपस्थिति में विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 381/148 रकबा 0.6475 हैक्टेयर वाके ग्राम लीलेड़ा चारणान पटवार हल्का ठीकरिया चारणान की पत्थरगढी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी * तालेड़ा जिला बूंदी (राज.)

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)